



(386) 1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : ३१७१ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६

सेवा में

## जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभियान

जनपद—बलरामपुर ।

दिनांक: 28 जनवरी 2016

पत्रांक : ३७१ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६

सेवा में

जिलाधिकारी / अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभियान

जनपद—बलरामपुर ।

विनीय वर्ष 2015-16 में सड़ा द्वारा छड़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

प्रथम  
प्रदेश

महादय,  
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार  
धनराशि आन्तरित की जा चुकी है।

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
इलाहाबाद बैंक	50071238213	IFSC Code ALLA 0212510	16.607

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के संपेक्ष वर्किंग				
			वर्किंग कास्ट	लैबर सेस	कुल	अग्रिम का समायोजन	प्रेषित की जा रही धनराशि
बलरापुर/पचपेडवा	अनु० ३७ पीएलप् योग	48	16.087	0.520	16.607	0.000	16.607
			16.087	0.520	16.607	0.000	16.607

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की डीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की डीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, खल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा। उक्त परियोजना प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी है तदोपरान्त भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रभाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व दूड़ा द्वारा एम०ओ०य० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1— समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की डीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण करने होंगे।  
2— मार्च 2017 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।  
3— इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।  
4— उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।



506/2

दूरभाष 2286709  
2286710  
नप योग्या फैला, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर छूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 6- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसारा परियोजना की कलोजर रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय को छूड़ा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- 7- सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएलओ) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीप,  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

#### पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना निदेशक, यूपीआरएनएन०, छूड़ा इकाई-सम्बन्धित जनपद।
3. परियोजना अधिकारी-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।